

## वन संरक्षण में PESA की भूमिका

### प्रलिस के लयि:

[पंचायत उपबंध \(अनुसूचति कषेत्रों तक वसितार\) अधनियम \(PESA\), 1996](#), अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 (FRA), [अनुच्छेद 244\(1\)](#)

### मेन्स के लयि:

पेसा अधनियम से संबधति मुद्दे, पेसा अधनियम लागू करने के लाभ, पेसा अधनियम की तुलना, भारत में जनजातीय नीति

[स्रोत :द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में भारत के अनुसूचति कषेत्रों में प्रतनिधित्व तथा वन संरक्षण के बीच इनके संबंधों की जाँच की गई है।

- यह पाया गया है कि PESA जैसे अधनियमों के माध्यम से जनजातीय आबादी को राजनीतिक प्रतनिधित्व के साथ ही नरिणय लेने की शक्ति प्रदान करने से वनों के संरक्षण में सहायता प्राप्त होती है।

### अध्ययन के मुख्य नषिकर्ष क्या हैं?

#### परचिय:

- लेखक [पंचायत \(अनुसूचति कषेत्रों तक वसितार\) अधनियम \(PESA\)](#) पर डेटा-आधारित अध्ययन करके अपने नषिकर्ष पर पहुँचे, जो अनुसूचति जनजातियों (ST) को राजनीतिक प्रतनिधित्व प्रदान करता है।
- अध्ययन में स्थानीय स्वशासन में अनुसूचति जनजातियों के अनवार्य प्रतनिधित्व वाले गाँवों की तुलना उन गाँवों से की गई, जहाँ प्रतनिधित्व अनवार्य नहीं था, तथा जिन गाँवों ने PESA को पहले अपनाया था, उनकी तुलना उन गाँवों से की गई, जिनोंने इसे बाद में अपनाया और साथ ही वनों की कटाई एवं वनीकरण पर नज़र रखी।
- इससे उन्हें "डफिरेंस-इन-डफिरेंस" फ्रेमवर्क का उपयोग करके वन कषेत्र पर PESA के प्रभाव को अलग करने में सहायता प्राप्त हुई।
- इस अध्ययन में वर्ष 2001 से वर्ष 2017 तक वैश्विक स्तर पर वनीकरण परिवर्तनों का वश्लेषण करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया, जो छोटे समुदायों में फीलडवर्क की पारंपरिक पद्धति से भिन्न है।

#### मुख्य नषिकर्ष:

- PESA द्वारा अनुसूचति जनजातियों को अधिक राजनीतिक प्रतनिधित्व प्रदान किया है, जिससे उन्हें वनों के प्रबंधन में अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त हुआ।
  - PESA खनन जैसी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों का वरिोध करने की ST की क्षमता को मज़बूत करता है जो वनों की कटाई का कारण बन सकता है जिससे खदानों के पास PESA गाँवों में वनों की कटाई में वश्लेष रूप से कमी आएगी।
  - PESA की शुरुआत से खनन कषेत्र के आसपास संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हुई।
- PESA अधनियम के कारण वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 3% की वृद्धि हुई तथा वनों की कटाई की दर में कमी आई।
- PESA द्वारा वनों की सुरक्षा, गैर-लकड़ी वन उत्पादों (औषधीय पौधे, फल, आदि) तथा खाद्य सुरक्षा के लिये ST समुदायों का आर्थिक प्रोत्साहन में वृद्धि की।
- अध्ययन में पाया गया कि [वन अधिकार अधनियम, 2006](#) का संरक्षण पर PESA के कारण हुए प्रभावों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ा।
- इस अध्ययन में एक ऐसी संस्था की वकालत की गई जो संरक्षण एवं विकास उद्देश्यों में संतुलन स्थापित कर सके।
  - ऐसी संस्था स्थानीय आर्थिक हितों एवं सतत् संरक्षण प्रथाओं के बीच संतुलन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से हल कर सकेगी।

### पेसा अधनियम क्या है?

#### ■ परचियः

- पेसा अधनियिम 24 दसिंबर, 1996 को आदविसी क्षेत्रों, जनिहें **अनुसूचति क्षेत्र** कहा जाता है, में रहने वाले लोगों के लयि पारंपरकि **ग्राम सभाओं**, जनिहें **ग्राम सभा** के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से स्वशासन सुनश्चिति करने हेतु लागू कयिा गया था ।
- इस अधनियिम ने **पाँचवीं अनुसूची** के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में **स्व-जनजातीय शासन** प्रदान करके पंचायतों के प्रावधानों का वसितार कयिा ।


#### ■ वधिानः

- अधनियिम में अनुसूचति क्षेत्रों को **अनुच्छेद 244(1) में उल्लखिति क्षेत्रों** के रूप में परभिषति कयिा गया है, जसिमें कहा गया है कि **पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रपिरा और मज़ोरम** के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों और अनुसूचति जनजातयिों पर लागू होती है ।
- भारत के अनुसूचति क्षेत्र, जो **राष्टरपति** द्वारा अधसूचति क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय नविस करते हैं ।
- 10 राज्यों ने **पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को** अधसूचति कयिा है, जो प्रत्येक राज्य के कई ज़िलों को (आंशकि या पूर्ण रूप से) कवर करते हैं ।
  - इनमें **आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडशा, राजस्थान और तेलंगाना** शामिल हैं ।

#### ■ महत्त्वपूर्ण प्रावधानः

- **ग्राम सभाः** पेसा अधनियिम ग्राम सभा को वकिस प्रक्रयिा में **सामुदायकि भागीदारी हेतु एक मंच** के रूप में स्थापति करता है । यह वकिस परयोजनाओं की पहचान करने, वकिस योजनाएँ तैयार करने और इन योजनाओं को लागू करने के लयि ज़मिेदार है ।
- **ग्राम स्तरीय संस्थाएँः** अधनियिम में वकिस गतविधियिों को संचालति करने और समुदाय को बुनयिादी सेवाएँ प्रदान करने के लयि **ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा पंचायत समति** सहति ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है ।
- **शक्तयिों और कारयः** ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को प्राकृतकि संसाधनों के प्रबंधन और आर्थकि गतविधियिों के वनियिमन से संबंधति महत्त्वपूर्ण शक्तयिों और कारय प्रदान कयि गए हैं ।
- **परामर्शः** अधनियिम के अनुसार अनुसूचति क्षेत्रों में कोई भी वकिस परयोजना या गतविधि शुरु करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना आवश्यक है ।
- **फंडः** यह ग्राम पंचायतों को नधियिों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है ताकि वे अपने कारयों को प्रभावी ढंग से नषिपादति कर सकें ।
- **भूमि अधिकारः** यह अधनियिम अनुसूचति क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है, जसिके तहत कसिी भी भूमि के अधगिरहण या हस्तांतरण से पहले उनकी सहमति लेना आवश्यक है ।
- **सांस्कृतकि और सामाजकि प्रथाएँः** यह अधनियिम अनुसूचति क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतकि और सामाजकि प्रथाओं की रक्षा करता है तथा इन प्रथाओं में कसिी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है ।





//

## भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

### परभाषा:

- भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित नहीं करता है। [जनगणना-1931](#) के अनुसार, "अपवर्जित क्षेत्र" और "अंशतः अपवर्जित क्षेत्र" क्षेत्रों में निवास कर रही "पछिड़ी जनजातियों" को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।
- सर्वप्रथम [वर्ष 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट](#) में प्रांतीय विधानसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधित्व का आह्वान किया।

### संवैधानिक प्रावधान:

- [अनुच्छेद 243D](#): यह पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- [अनुच्छेद 330](#): यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- [अनुच्छेद 332](#): इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- [अनुच्छेद 341 और 342](#): इनमें अनुसूचित जनजातियों को परभाषित करते हुए [राष्ट्रपति](#) को प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिये सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से उनकी पहचान करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

### कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
- [अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम, 1989।](#)

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम (PESA), 1996
- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ।

**दृष्टिभेन्स प्रश्न:**

पेसा कानून क्या है? इसका भारत में आदवासी लोगों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न.** राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय

**उत्तर: (d)**

**प्रश्न.** भारत के संविधान की कसि अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशेष प्रावधान हैं?(2008)

- तीसरा
- पाँचवाँ
- सातवाँ
- नौवाँ

**उत्तर: (b)**

**प्रश्न.** भारत के संविधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये नज़ी पार्टियों को आदवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

**उत्तर: (b)**

**प्रश्न.** सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत वसितार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। नमिनलखिति में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013)

- स्वशासन प्रदान करना
- पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
- जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
- जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

**उत्तर: (c)**

**प्रश्न.** अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं वसितार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013)

- राज्य वन विभाग
- ज़िला कलेक्टर / उपायुक्त
- तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी / मंडल राजस्व अधिकारी
- ग्राम सभा

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत के संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं? (2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण
- (c) पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा

उत्तर: (a)

**??????:**

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी पाँचवीं सूची का क्रियान्वयन न हो पाने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2013)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (ST) के खिलाफ भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिक पहल क्या हैं? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/role-of-pesa-in-forest-conservation>

